भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 164

उत्तर देने की तारीख : 18.07.2022

महाराष्ट्र में विद्यालय

†164. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में चल रहे पूर्व-प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और उक्त स्कूल खोलने के लिए निर्धारित नियमों और बुनियादी ढांचे का ब्यौरा क्या है;
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, गरीब और पिछड़े परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति बहुल और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की सरकार की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम**, 2009** के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपयुक्त सरकारें हैं**,** और इन्हें आरटीई अधिनियम**, 2009** की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य की आरटीई नियमावली के अनुसार स्कूलों में आधारभूत ढांचा प्रदान करने का दायित्व और अधिदेश प्राप्त है। देश में चल रहे पूर्व-प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ख) और (ग): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, में समुचित सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में नि: शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अधिदेशित है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची

का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए समग्र शिक्षा लागू कर रहा है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

समग्र शिक्षा लड़कियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों आदि के बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) की पहचान नामांकन, प्रतिधारण, और जेंडर समानता के विभिन्न संकेतकों पर प्रतिकूल प्रदर्शन के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता के आधार पर की गई है। समग्र शिक्षा के प्रमुख कार्यों में आरटीई पात्रता शामिल हैं जिसके तहत सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए वर्दी के दो सेट प्रदान किए जाते हैं और मदरसों सहित सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान भी किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए छठी से बारहवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं।

समग्र शिक्षा के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस (एनएससीबी) आवासीय विद्यालय और छात्रावास उन बच्चों तक पहुंच के लिए सहायता प्रदान करते हैं जो कम आबादी वाले, या दुर्गम भौगोलिक इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों वाले पहाड़ी और घने जंगलों में रहते हैं, जहां एक नया प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलना संभवत: व्यवहार्य नहीं हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी), एलडब्ल्यूई, विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) और 115 आकांक्षी जिलों को वरियता दी जाती है।

सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी नए दाखिलों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों को जिन्हें आरटीई कोटे के तहत प्रवेश दिया जाता है, शुल्क के भुगतान में छूट दी जाती है और उन्हें किताबें, वर्दी, स्टेशनरी और परिवहन भी नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में ड्रॉप आउट करने से रोकने और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है।

(घ): केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निधि शेयरिंग पैटर्न के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और स्कूल मैपिंग कार्य द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए अंतराल के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिनका मूल्यांकन किया जाता है और योजना के प्रोग्रामेटिक और वित्तीय मानदंडों तथा पहले स्वीकृत कार्यकलापों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से व्यवहार्य प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

समग्र शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन और खरीद (एफएमपी) नियमावली के तहत निर्धारित लेखापरीक्षित लेखों, उपयोगिता प्रमाणपत्र, वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आधार पर निधि जारी की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2018-19 से महाराष्ट्र राज्य सरकार को आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	**आवंटित निधि**
2018-19	98130.84
2019-20	101622.00
2020-21	101370.47
2021-22	101370.47

*****

अनुबंध

'महाराष्ट्र में विद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राजकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/अनुभागों की संख्या	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों/अनुभागों की संख्या
	2020-21		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	292	318	153
आंध्र प्रदेश	3662	38787	10844
अरुणाचल प्रदेश	612	2872	1279
असम	25197	39844	9565
बिहार	224	69339	29140
चंडीगढ़	106	119	112
छत्तीसगढ	106	30923	13495
दमन और दीव और दादर नगर हवेली	77	318	159
दिल्ली	1613	2172	1115
गोवा	65	730	123
गुजरात	154	32934	21139
हरियाणा	1681	8734	5875
हिमाचल प्रदेश	3963	10622	4808
जम्मू और कश्मीर	11455	22042	9698
झारखंड	15978	34681	13858
कर्नाटक	1673	43613	23801
केरल	3360	4294	2191
लद्दाख	771	845	481
लक्षद्वीप	20	35	19
मध्य प्रदेश	1516	79792	30437
महाराष्ट्र	2697	65080	22360
मणिपुर	710	2793	970
मेघालय	4632	5475	2346
मिजोरम	410	1286	960
नगालैंड	1716	1780	928
ओडिशा	767	46670	21278
पुदुचेरी	298	325	178
पंजाब	12893	13026	6427
राजस्थान	2293	68099	34614
सिक्किम	774	843	387
तमिलनाडु	7437	31447	13271
तेलंगाना	654	24228	9776
त्रिपुरा	91	4195	2120
उत्तर प्रदेश	3538	112609	47584
उत्तराखंड	10	11705	4750
पश्चिम बंगाल	65114	67506	16282
अखिल भारत	**176559**	**880081**	**362523**
स्रोत: यूडीआईएसई+ 2020-21			